न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :– 42/17 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00103

उनवान

1. नाहर सिंह } पिसरान हरी सिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. लाल सिंह }

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. लीलाप्रकाश पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. पुष्पा देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

..... असल रैस्पोडेण्ट

3. भरती पुत्र अजीराम (मृतक)
   3/1. रमेश
   3/2. मोहन
   3/3. गोरधन
   3/4. रनधीर
   3/5. देवेन्द्र
   } पिसरान भरती निवासी ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामस्वरूप पुत्र जीतराम (मृतक)
   4/1. मंगू
   4/2. वीरी सिंह
   4/3. सुन्दर
   } पिसरान रामस्वरूप जाति जाट निवासी कवई तह0 नदबई जिला भरतपुर
5. भूरी सिंह पुत्र जीतराम (मृतक)
   5/1. प्रताप
   5/2. राजवीर
   } पिसरान भूरी सिंह जाति जाट नि0 कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. राज्य सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार नदबई, तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. व्यवस्थापक दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा नदबई, जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2002 प्रकरण संख्या 120/89, 335/2000 उनवान नाहर सिंह बनाम लीलाप्रकाश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई।

अभिभाषकगण :–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :–18.09.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, नदवई के निर्णय दिनांक 31.07.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 448 रकवा 1.07 वीघा वाके ग्राम कवई तहसील नदवई में स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या 01 रिकार्ड में 1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं शेष 2/3 हिस्सेदार तरतीवी प्रतिवादी दर्ज रिकार्ड हैं। यह है प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के पिता हैं तथा विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 01 को उनके पिता यानि वादीगण के बाबा से प्राप्त हुयी है। अतः विवादित आराजी पैतृक आराजी है। जिसमें वादीगण का भी जन्म से प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/3 हिस्से में बराबर का हित निहित है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 ने उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा दिनांक 26.11.1977 को दीगर व्यक्तियों को वयनामा करा दिया, जो कि बिल्कुल अवैध व शून्य है। प्रतिवादी संख्या 01 को अपने हिस्से से अधिक वयनामा कराने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्त वयनामा को शून्य घोषित करते हुये वादीगण को विवादित आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 448 वाके ग्राम कवई में 1/3 हिस्से से 1/4 हिस्सा रैस्पो0 नंबर 01 लीलाप्रकाश को किया गया वयनामा दिनांक 26.11.1977 (मृतक हरी सिंह) द्वारा वादीगण अपीलाण्ट के प्रति वातिल व बेअसर ना करने में कानूनी त्रुटि की है। रैस्पो0 संख्या 01 का उक्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है ना ही कोई बंटवारा पक्षकारान के बीच हुआ है तथा धारा 42 आरटीएक्ट के तहत भी वयनामा नल एण्ड बॉयड किये जाने योग्य था। अपीलाण्ट की बिना सहमति के वयनामा पैतृक सम्पत्ति का हक हकूको को मारने की गरज से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की पेशकर्दा रिकार्ड व साक्ष्य का कोई अवलोकन नहीं किया। असल रैस्पो0 लीला प्रकाश ने तथाकथित विवादित जमीन का अपीलाण्ट का हिस्सा मारने व कब्जा करवाने की नीयत से मैलाफाईड इन्टेन्शन से पैण्डसी ऑफ अपील दिनांक 21.05.2012 को रैस्पो0 पुष्पा देवी को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख कर दिया है, वह अपीलाण्ट के प्रति वातिल व बेअसर व शून्य है तथा अपीलाण्ट वयनामा दिनांक 21.05.2012 को शून्य व अवैध घोषित किया जावे, शून्य प्रभावी है तथा टी0पी0एक्ट के तहत लिस पैण्डेसी ऑफ सूट की तारीफ में आता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 450 में 1/3

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

हिस्से का खातेदार घोषित करने का दावा किया था जबकि इसका रकवा 1 बीघा 18 विस्वा है। यह है कि असल रैस्पो0 ने विवादित आराजी को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। विवादित आराजी में अपीलाण्ट के अनुसार भी 1/9 हिस्सा हरी सिंह का होता है जिसमें 1/12 हिस्सा असल रैस्पो0 ने खरीदा है जिसके लिये हरी सिंह पूर्णतया हस्तांतरण करने के लिये सक्षम व्यक्ति रहा है। विवादित आरजी को क्रय करने के बाद असल रैस्पो0 ने विवादित आराजी पर कब्जा प्राप्त कर लिया है एंव राजस्व अभिलेख में खातेदारी की प्रविष्ठियॉ हो चुकी हैं। विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी है एवं ना ही वह निरस्त हुआ है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.1994 के अनुसार मौके पर असल रैस्पो0 ने उसमें बोरिंग लगा रखी है। बिजली की कोठरी बनी हुयी है। स्वयं प्रतिवादी हरी सिंह ने दूसरे मुकदमे में यह स्वीकार किया है कि उसे पैसो की खास जरूरत थी इसलिए उसने आराजी को लीलाप्रकाश को विक्रय किया है। अपीलाण्ट एक तरफ स्वयं मानते हैं कि विवादित आराजी में लीलाप्रकाश का 1/12 हिस्सा है फिर दूसरे दावे में इससे क्यों इन्कार करते हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा साक्ष्य विहीन रहा है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सही खारिज किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 448 रकवा 1.07 बीघा बीघा में अपने पिता हरी सिंह के 1/3 हिस्से पर पिता के साथ वहिस्सा बराबर की खातेदारी व हरी सिंह के द्वारा असल रैस्पो0 के पक्ष में किये गये वयनामा को नल एण्ड वाइॅड घोषित करने का अनुतोष चाहते हैं। हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। हम पाते हैं कि वादीगण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड से यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजी वादीगण एवं उनके पिता हरी सिंह व शेष प्रतिवादियो की पैतृक आराजी है जो विरासतन शोभाराम से प्राप्त हुयी है। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट का विवादित आराजी में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जन्मजात अधिकार हैं तथा वह अपना अधिकार हिस्से अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। वादीगण अपीलाण्ट व उनके पिता हरी सिंह का विवादित आराजी में प्रत्येक का 1/3 हिस्से में से 1/9–1/9 हिस्सा निहित है। इस प्रकार वादीगण अपीलाण्ट अपने आपको 2/9 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। जहॉ तक वयनामा दिनांक 26.11.1977 को नल एण्ड वॉइड घोषित करा खातेदारी प्राप्त करने का प्रश्न है तो वादीगण अपीलाण्ट के पिता ने विवादित आराजी में अपने हिस्से 1/9 से भी कम 1/12 हिस्से का विक्रय असल रैस्पो0 को किया गया है। अतः असल रैस्पो0 विवादित आराजी के सद्भावी क्रेता है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय में गवाहो के बयानो से भी स्पष्ट है कि वक्त वयनामा कीमत अदा की गयी तथा कब्जा दिया गया। इस प्रकार वादीगण/अपीलाण्ट के पिता द्वारा अपने हिस्से के अनुरूप ही वयनामा कराया जाना प्रमाणित है। लिहाजा वादीगण अपीलाण्ट कथित वयनामा को बातिल व बेअसर कराने के हकदार नहीं माने जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रत्येक तनकी पर कारण सहित अपना निष्कर्ष देते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें हम हमारे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार तार्किक है। अतः हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के निर्णय दिनांक 31.07.2002 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18-09-2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 42/17 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2017/00103
उनवानी :–

1. नाहर सिंह पुत्र हरी सिंह जाति जाट नि0 कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर बगै0**(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)**

.....अपीलांट।

बनाम

1. लीलाप्रकाश पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी ग्राम कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर बगै0। **(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)**

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.07.2002 प्रकरण संख्या 120/89 , 335/2000 उनवान नाहर सिंह बनाम लीलाप्रकाश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई।

यह अपील .....18.....माह.....09.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री सुरेन्द्र सिंह एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , श्री महाराज सिंह डागुर एड. रैस्पोडेण्ट उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2002 यथावत रखें जाते हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....18.....माह.....09.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवानी :–

1. नाहर सिंह
2. लाल सिंह

} पिसरान हरी सिंह जाति जाट नि0 कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

..... अपीलांट।

बनाम

1. लीला प्रकाश पुत्र चन्दाराम जाति जाट निवासी कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर ।
2. पुष्पा देवी पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी कबई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेण्ट।

3. भरती पुत्र अजीराम (मृतक)
   - 3/1. रमेश
   - 3/2. मोहन
   - 3/3. गोरधन
   - 3/4. रनधीर
   - 3/5. देवेन्द्र

   } पिसरान भरती निवासी ग्राम कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

4. रामस्वरूप पुत्र जीतराम (मृतक)
   - 4/1. मंगू
   - 4/2. वीरीसिंह
   - 4/3. सुन्दर

   } पिसरान रामस्वरूप जाति जाट निवासी कवई तह0 नदबई जिला भरतपुर।

5. भूरी सिंह पुत्र जीतराम (मृतक)
   - 5/1. प्रताप
   - 5/2. राजवीर

   } पिसरान भूरी सिंह जाति जाट नि0 कवई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

6. राज्य सरकार जरिये पैरोकार तहसीलदार नदबई,तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. व्यवस्थापक दी बैंक ऑफ राजस्थान शाखा नदबई, जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर